बेल नं० आर /२२

<u>१२–१०–२०२२</u> **<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्तगण अरविन्द शर्मा उर्फ सोनू शर्मा एवं अभिषेक शर्मा उर्फ सोनू शर्मा द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र परिवाद सं० ६०३१/२० धारा ५०४ भा०दं०सं० थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर आधारित है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन २०,००० रूपये का निजी बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(मेघा चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
बदायूँ